भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1272
दिनांक 29 जुलाई, 2026 को उत्तर देने के लिए

बाल देखरेख संस्थाओं की वर्तमान स्थिति

1272. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, अनाथ, परित्यक्त तथा बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) द्वारा संस्थाओं में भेजे गए बच्चों सहित देशभर के बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) में निवास करने वाले बच्चों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा श्रेणी-वार संख्या क्या है;
(ख) मिशन वात्सल्य के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) और किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के सदस्यों तथा बाल संरक्षण अधिकारियों सहित बाल संरक्षण कार्मिकों के संस्वीकृत, भरे हुए और रिक्त पदों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी-कितनी है; और
(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान सूचित किए गए तथा पता लगाए गए लापता बच्चों की वर्ष-वार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है तथा उनकी खोज और पुनर्वास के लिए अपनाए गए तंत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) की सुरक्षा, संरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक कानून है, जो देखरेख, संरक्षण, विकास, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय अधिनियम के लिए नोडल मंत्रालय है। इसमें अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों के साथ-साथ बाल कल्याण समितियों

(सीडब्ल्यूसी) तथा किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) के समक्ष पेश किए गए और सीसीआई में रखे गए बच्चे भी शामिल हैं।

पिछले पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26) के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के तहत बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) में रहने वाले बच्चों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ख): किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) के प्रावधानों के अंतर्गत धारा 27 प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) के गठन का प्रावधान करती है, जबकि धारा 4 कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) के गठन का अधिदेश देती है। इसके अलावा, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 106 के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और उसके तहत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बच्चों से संबंधित मामलों को उठाने के लिए प्रत्येक जिले के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई का गठन करना होता है, जिसमें पर्याप्त अवसंरचना और मानव संसाधन सुनिश्चित करना शामिल है। ये सांविधिक प्रावधान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बाल संरक्षण संस्थाओं और तंत्रों में उचित कार्मिक व्यवस्था और प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी देते हैं।

स्वीकृत, भरे हुए और रिक्त पदों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर रखा जाता है। हालांकि, मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सांविधिक संरचनाओं में रिक्तियों को भरने सहित किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए समय-समय पर विभिन्न दिशा-निर्देश और एडवाइजरी जारी की हैं।

(ग): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) देश में गुमशुदा और बरामद किए गए बच्चों के आंकड़े संकलित करता है और अपनी रिपोर्ट "क्राइम इन इंडिया" में प्रकाशित करता है। उक्त रिपोर्ट वर्ष 2024 तक उपलब्ध है और इसे https://www.ncrb.gov.in/crime-in-india-year-wise.html?year=2024&keyword= पर देखा जा सकता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श और ताल मेल से एकीकृत मिशन वात्सल्य पोर्टल तैयार किया है। लापता/पाए गए बच्चों के लिए ट्रैक चाइल्ड पोर्टल और लापता/देखे गए बच्चों के लिए खोया-पाया एप्लीकेशन को इस एकीकृत मिशन वात्सल्य पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। मिशन वात्सल्य पोर्टल का ट्रैक चाइल्ड माड्यूल विभिन्न हितधारकों जैसे गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, राज्य सरकारों

और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण इत्यादि के सहयोग और भागीदारी से कार्यान्वित किया जाता है। इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों सहित सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों एवं अन्य हितधारकों को पोर्टल के कार्यान्वयन के बारे में दिशा-निर्देश (एडवाइजरी) जारी किए गए हैं। यह गृह मंत्रालय के क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) के साथ भी एकीकृत है, जिसमें लापता बच्चों के बारे में दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को मिशन वात्सल्य पोर्टल के आंकड़ों से मिलान करने में परस्पर सहूलियत रहती है और संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की पुलिस द्वारा पता लगाया जाना और गुमशुदा बच्चों का मिलान किया जाना सरल होता है। इसके अलावा, खोया-पाया मॉड्यूल के माध्यम से कोई भी नागरिक किसी भी लापता या देखे गए बच्चे के बारे में सूचना दे सकता है।

मिशन वात्सल्य योजना में चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए आपातकालीन आउटरीच सेवाएं (24x7x365) भी प्रदान की जाती हैं, जो गृह मंत्रालय की आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली-112 (ईआरएसएस-112) हेल्पलाइन के साथ एकीकृत है।

*****

अनुलग्नक

'बाल देखरेख संस्थाओं की वर्तमान स्थिति' विषय पर श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा पूछे गए दिनांक 29.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1272 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) में रहने वाले बच्चों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	संस्थागत देखरेख के तहत बच्चों की संख्या				
		वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26
1	आंध्र प्रदेश	3069	1504	1546	2152	2284
2	अरुणाचल प्रदेश	147	206	206	420	222
3	असम	1378	1380	1241	1615	2036
4	बिहार	2372	2088	2227	2958	3228
5	छत्तीसगढ़	2167	1974	1843	1876	1714
6	गोवा	685	526	461	519	405
7	गुजरात	1299	1651	3195	2393	2987
8	हरियाणा	1786	1239	963	946	960
9	हिमाचल प्रदेश	1147	805	926	1390	1312
10	जम्मू और कश्मीर	579	817	1104	1385	1870
11	झारखंड	1537	1219	1238	1995	1765
12	कर्नाटक	3974	3182	3110	4587	2853
13	केरल	1380	697	776	1345	1370
14	मध्य प्रदेश	2982	2292	2597	2303	2392
15	महाराष्ट्र	3468	3654	3495	3667	4185
16	मणिपुर	1980	2121	2295	2296	2555
17	मेघालय	915	972	1031	990	993
18	मिजोरम	776	914	1172	1348	1742
19	नागालैंड	597	493	562	621	663
20	ओडिशा	7077	4153	4431	4627	7311
21	पंजाब	685	607	533	506	543
22	राजस्थान	3670	2560	2733	3958	4629
23	सिक्किम	534	526	468	660	725

24	तमिलनाडु	13877	7785	10118	12438	11217
25	तेलंगाना	2822	1129	2243	2485	2465
26	त्रिपुरा	875	829	948	1085	1235
27	उत्तर प्रदेश	4722	3238	3226	5420	5125
28	उत्तराखंड	457	700	589	868	909
29	पश्चिम बंगाल	6494	6220	4744	7615	7725
30	अंडमान और निकोबार	301	308	274	263	264
31	चंडीगढ़	153	202	222	344	370
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	5	28	36	64	58
33	लद्दाख	0	25	84	77	96
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
35	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1835	1206	1216	1012	1630
36	पुद्दुचेरी	373	690	739	654	673

*****